

लिपि जाने के दफ्तर पार्श्व किपे। प्रकरण में  
 काज किसे एड सामान (लगाव) फिदा गरी हुई  
 है। ऐसा प्रतीत होता है। वादीगण वाद के  
 चलाने इच्छु नहीं है। वकील वारी के बाद  
 2 विवेदन करे पर न्यायमहिन में एड दफ्तर  
 इतमद जागगी सांपेकी पर लडु लगान पर  
 करे की विद्यापन के लख प्रदत्त किया  
 जाता है। साक्षि दफ्तर की पालन बही  
 की जाने पर प्रकरण दफ्तर 09RS IPC के  
 तहत बन्धन नकरील में जारीज लगवा जाये।  
 मिलाव दिनेरु, 22/11/2024 का फरक हो।

22/11/24

पजावकी फरक हुई वकील वकील गेरे हाजिर।  
 प्रकरण में वकील वारी को माल सांपेकी पर  
 जगिदारीकर की गजकी हेतु दफ्तर इतमद विद्यापन  
 के लख प्रदत्त किया था। परन्तु वकील वारी उक्ति  
 गल की गजकी कराने में इतमद नहीं देता।  
 इतमद इतमद किपे जाने के उपरान्त जी प्रतिकारी  
 गण से गजकी कराने में वकील वारी के इतमद  
 करने पर वाद 01/11/2024 का फरक हाजरी  
 इतमद नकरील में IPC के सापधान दफ्तर उक्ति  
 के तहत जारीज किया जाता है। प्रकरण जारीज  
 जमा दे कर होकर साक्षि नकरील हो।

